BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(Formerly Bhopal University, Bhopal)
Office: Hoshangabad Road, Bhopal-462026

S.No1264/Admn/Guest Faculty/2026 Bhopal, Date 27/08/2026

EMPANELMENT OF CANDIDATES FOR GUEST FACULTIES
For session 2026-27

Applications in prescribed format are invited from suitable candidates for **" Empanelment for Guest Faculties"** in various University Teaching Departments for session 2026-27. The candidates should be well familiar with teaching on various web platforms. The university reserves the right to engage or not to engage the candidates enlisted in the panel subject to the requirement of the department. The Remuneration will be 500/- per lecture & maximum upto 50,000/- per month.

- Applications should be in prescribed format and sent to respective Heads of the department in hard copy through speed post or by hand with clearly mentioning the name of the Department and Subject to be taught.
- For further details please visit the website of Barkatullah University.**(www.bubhopal.ac.in)**
- Last date for the submission for application is **15th September 2026**

REGISTRAR

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

The Following departments require guest faculty for the session 2026-27

S.N.	Name of department	Subjects to be taught
1.	Biochemistry & Genetics	Biochemistry, Genetics
2.	Bioscience	Bioscience, Zoology, Botany
3.	Microbiology	Microbiology,Argonomy,Botany
4.	Biotechnology	Biotechnology
5.	Limnology & Environmental Science	Limnology & Environmental Science
6.	Zoology and Applied Aquaculture	Zoology and Applied Aquaculture
7.	Earth Science	Geology /Applied Geology,Remote Sensing
8.	Physics	Physics
9.	Computer Science	Computer Science
10.	Electronics	Electronics
11.	Comparative Language and Culture	Sanskrit, Linguistics, Hindi, English and Urdu
12.	Persian	Persian
13.	Arabic	Arabic
14.	Commerce	Commerce
15.	Regional Planning and Economic Growth	Economics, Geography, History
16.	Psychology	Psychology, Clinical Psychology
17.	Sociology & Social work	Sociology, Political Science, Social Work, English Hindi
18.	Women's Study	Women's study
19.	Law	Law, Pol. Science, Economics, Sociology, Hindi, English
20.	Continuing Education and Extension	Education
21.	Yoga	Yoga
22.	Physical Education	Physical Education
23.	CRIM	Financial Management, Marketihg Management, Human Resource Management & Aviation Management
24.	Pharmacy	Pharmacy
25.	**Engineering (BUIT)**	
	Computer Science Engineering	Electronics & Communication Engineering,
	Electronics & Communication Engineering	Computer Science Engineering
	Mechanical Engineering	Mechanical Engineering,
	IT	IT,
	Civil Engineering	Civil Engineering,
	Electrical Engineering	Electrical Engineering,
	Computer Application,	Computer Application,
	Physics, Nano Technology,	Physics, Nano Technology,
	Chemistry	Chemistry
	Mathematics	Mathematics

अनुभाग अधिकारी
प्रशासन
बरकतउल्ला वि.वि.भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

अतिथि शिक्षकों हेतु दिशा–निर्देश (वर्ष 2026--27)

(I) अतिथि शिक्षक

1. सामान्य

1.1 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्कलोड के अनुसार अतिथि विद्वान की व्यवस्था की जाएगी।

1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है इसके लिये संबंधित अतिथि शिक्षक को इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा ।

1.3 यदि कोई अतिथि शिक्षक को इम्पैनेलमेंन्ट किया जाता है एवं वह कहीं कार्यरत है, तो उसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.4 अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगे ।

1.5 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में इम्पेनलमेंट किया गया अतिथि शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग में भी व्याख्यान दे सकेगा जिसका मानदेय संबंधित विभाग द्वारा दिया जायेगा, परन्तु कुल मानदेय की प्रति माह सीमा रू.50,000/– अधिकतम से ज्यादा नही होगी।

1.6 अतिथि शिक्षक प्रतिदिन अधिकतम 04 कक्षाएँ, 500/–रू प्रति कक्षा के अनुरूप ले सकेंगे।

2. पैनल बनाने की प्रकिया

2.1 अतिथि विद्वान के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभयार्थियों का पैनल तैयार करने के लिये है न कि नियुक्ति के लिये । प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार समाचार पत्र में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ।

2.2 अकादमिक सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक की पुनः आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा संबंधित विभाग के सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है ।

2.3 विभागाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि पैनल में शामिल अभ्यार्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये किसी प्रकार का अवसर दे अथवा न दे ।

2.4 विज्ञापन के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम समन्वयक के पास अपना आवेदन समस्त आवश्यक अंकसूचियां एवं प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अंतिम तिथि तक जमा करेंगे । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा ।

[illegible] अधिकारी
[illegible]
बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

2.5 एक से अधिक विषयों पर पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को अलग-अलग विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

2.6 पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये तैयार किया जायेगा । विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त आगे की कार्यवाही करना या नही करना, विश्वविद्यालय को अधिकारी होगा ओर इसके लिये किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नही होगा ।

3. समिति

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी का कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के दो अन्य शिक्षकों के सहयोग से करेंगे । इस हेतु समिति के गठन की पूर्वानुमति कुलगुरूजी से प्राप्त करनी होगी ।

3.2 पैनल तैयार करने की प्रक्रिया :-
संलग्नक 'अ' के अनुसार अकादमिक रिकॉर्ड के 70 अंक तथा साक्षात्कार के 30 अंको के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। साक्षात्कार समिति का गठन निम्नानुसार होगा।

(1)	विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समन्वयक	-	अध्यक्ष
(2)	संकायध्याक्ष	-	सदस्य
(3)	विशेषज्ञ	-	सदस्य (कुलगुरूजी द्वारा नामित)
(4)	आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि	-	कुलपति जी द्वारा नामांकित

4. अर्हता के मापदण्ड

4.1 यू.जी.सी द्वारा अधिसूचित नियमानुसार पीएच.डी. उपाधी मान्य होगी।

4.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंको में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

4.3 पीएच.डी उपाधि धारक अभ्यार्थी जिन्होने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो,के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत के अंक होने चाहिए ।

4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय मे किये गये शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा।

4.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों को अर्हताकारी परीक्षा (स्थात्कोत्तर) के प्राप्तांको पर 10 प्रतिशत का अधिभार देय होगा।

4.6 बी.यू.आई.टी, सी.आर.आई.एम. फार्मेसी, विधि शिक्षण आदि विभागों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता निर्धारण/वरियताक्रम संबंधित नियामक आयोगों के मापदण्डों के अनुसार होगा । अन्य विभागों मे अर्हताएं यू.जी.सी के नियमानुसार होंगी।

4.7 साक्षात्कार हेतु अभ्यार्थियों को उपस्थित होने हेतु टी.ए/डी.ए देय नही होगा।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

(II) **आमंत्रित विद्वान**

1 विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं एम.फिल पाठ्यक्रमों के साथ 'शोध कार्य भी संचालित है। अतः विषय के विशिष्टीकरण (Specialization) के आधार पर विभागाध्यक्ष/ निर्देशक आवश्यकतानुसार कुलपतिजी के अनुमोनोपरान्त पेशेवर/शैक्षणिक/शोध संस्थाओं में कार्यरत विद्वान/शिक्षकों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित विद्वान के रूप में विभाग में व्याख्यान के लिये आमंत्रित कर सकेगें ।

2. आमंत्रित विद्वानों/शिक्षकों/विशेषज्ञों को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 3000/- मानदेय देय होगा, साथ ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भी देय होगी।

3. मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी।

III **विशिष्ट विद्वान**

1. छात्र, विश्वविद्यालय, एवं 'समाज' - तीनों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक स्तर पर विशिष्ट व्याख्यानों का समय- समय पर आयोजन किया जायेगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित संकायाध्यक्ष करेंगे। विद्वानों एवं विषयों का चयन कुलपतिजी से परामर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा।

2. विशिष्ट व्याख्यान के लिये आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वान को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 5000/- मानदेय देय होगा।

3. आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वानों को विश्वविद्यालय अतिथि माना जाएगा तथा उनकी यात्रा भत्ता एवं स्थानीय आतिथ्य विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

4. मानदेय की राशि वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
प्रशासन
बरकतउल्ला वि.वि.भोपाल

Application for Form

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

Hoshangabad Road, Bhopal

Application for the Empanelment of Guest faculty

Photo

1. Department: ....Subject ....
2. Name (Block Letters): ....
3. Father's/Husband's/Wife's Name ....
4. Email address ....
5. Mobile No...................
6. Date of Birth

6 Gender: Male/Female

7. Category: SC/ST/OBC//PH/GEN
8. Nationality
9. Address for communication

10 Educational Qualifications

Examination	Name of Board /University	Year of Passing	Percentage of Marks/GPA	Division/Grade
PhD				
JRF				
NET				
SLET				

Name and Signature of the
Candidate

8. Teaching Experience (if any)

a. Teaching experience

Year	No. of classes	
	UG	PG

a. Research Experience and Publications

b. Computer Knowledge (MS office/Coral etc.)

Declaration:

I declare that above information given in the application form is true as per best of my knowledge and believe I also undertake that if at any stage then permission given by me is found to be fast to the satisfaction of the concerned authority my application shall be rejected as just faculty in my terminated with immediate effect name and signature of the candidate

Name and Signature of the
Candidate